

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7( वि.जाँ.) /2025-26/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(4)वित्त/अंकेक्षण/2026 दिनांक 19.02.2026 के अनुसरण में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3570-3585 दिनांक 24.02.2026 द्वारा टी.बी. अस्पताल, शास्त्री नगर, जयपुर में पदस्थापित श्री विनोद गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अवैध धन वसूली एवं फर्जी टेण्डर आवंटन की विशेष जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया था।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं श्री योगेन्द्र चूलेट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को विशेष जांच दल में दल सदस्य के रूप में लगाया जाता है।

SD

(कीर्ति जैन)

निदेशक

क्रमांक: एफ.7( वि.जाँ.) /2025-26/ 3823-3833 दिनांक :- 4.3.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, टी.बी. अस्पताल, शास्त्री नगर, जयपुर।
7. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
8. प्रभारी विशेष जांच दल कैम्प टी.बी. अस्पताल, शास्त्री नगर, जयपुर।
9. संबंधित श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं श्री योगेन्द्र चूलेट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 05.03.2026 को प्रारम्भ होने जा रही विशेष जांच हेतु उपरोक्तानुसार विशेष जांच दल में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
10. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावे।
11. रक्षित पत्रावली।



(स्मिता सरिन)

अतिरिक्त निदेशक (अंकेक्षण)